संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-7/मंदसौर/फा.न.72/2015/2725 भोपाल, दिनांक 23.10.15

-:आदेश:-

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला मंदसौर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 15995 दिनांक 25.03.2014 के द्वारा डॉ. एस.आर.चौहान तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा वर्ष 2013 में अनियमित एवं अवेधानिक तरीके से नियुक्तियां करने के संबंध में डॉ. चौहान के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 2641 दिनांक 10.10.2014 द्वारा डॉ. एस.आर.चौहान तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को आरोप पत्र जारी कर 15 दिवस में प्रतिवाद उत्तर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन के माध्यम से चाहा गया था।

डॉ. एस.आर.चौहान तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर ने अपना प्रतिवाद उत्तर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन के पत्र क्रमांक शिका/2014/5991, दिनांक 01.12.2014 के माध्यम से प्रस्तुत किया। डॉ. चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोपरांत समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण डॉ. चौहान के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः डॉ. एस.आर. चौहान तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर के विरूद्व उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन को (जांच अधिकारी) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर को (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) नियुक्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में बिंदुवार जांच एक माह में पूर्ण करते हुये जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

21/10/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./सेल-7/मंदसौर/फा.न.72/2015/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय म0प्र0।
3. मिशन, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बैंक ऑफ इण्डिया भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

निरंतर...........2

4. कलेक्टर जिला मंदसौर मप्र. की ओर उनके अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 15995 दिनांक 25.03.2014 के संदर्भ में प्रेषित मप्र.।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन **(जांच अधिकारी)** उपरोक्त प्रकरण में जांच अधिकारी कि ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश में दी गई समयावधि में विभागीय जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर **(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)** की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मंदसौर म0प्र0।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

C:\Users\Tcs\Desktop\verma\C 7\C-7 ORDER.docVD

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक4 / शिका / सेल.3 / एफ 104 / सागर / 2015 / 2721 भोपाल, दिनांक 23-10-15

आदेश

दिनांक 03.06.2014 को लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी जिला सागर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान डॉ.देवेन्द्र तिवारी, प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी जिला सागर की अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही परिलक्षित होने के कारण आदेश दिनांक 1148 दिनांक 03.06.2014 द्वारा निलंबित किया गया।

संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 14.07.2014 द्वारा डॉ.देवेन्द्र तिवारी को आरोप पत्र जारी किये गये। जिनमें निम्न बिन्दुओं पर आरोप अधिरोपित किये गये थेः—

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अव्यवस्था पाई जाना। चिकित्सालय में 30 शैय्यायें उपलब्ध होने पर वार्ड में मात्र 3 महिला भर्ती पाई जाना तथा स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार हेतु आनेवाले मरीजों की संख्या बहुत कम पाई जाना।
2. स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी / कर्मचारी पदस्थापना स्थल पर निवास न करते हुये सागर से अप—डाउन करना पाया जाना।
3. स्वास्थ्य केन्द्र में 28 प्रकार की जांच की जाना चाहिये, परन्तु संस्था में 20 प्रकार की जांच करना पाया गया।
4. भर्ती मरीजों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध न कराया जाना पाया गया।
5. टीकाकरण कार्य में प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाना तथा जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत हितग्राही को दी जानेवाली सहायता राशि का समुचित रिकार्ड अथवा पंजी नहीं पाया जाना।

डॉ.तिवारी का प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ, जो समाधानकारक नहीं पाया गया। उनके द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहे जाने पर डॉ.तिवारी को दिनांक 15.09.2014 को स्वास्थ्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने पर डॉ.तिवारी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। तदोपरांत संचालनालय के आदेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा डॉ.देवेन्द्र तिवारी को निलंबन से बहाल कर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन के अधीन पदस्थ किया गया, जहां पर डॉ. तिवारी द्वारा अपनी उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर को जांचकर्ता अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सागर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विभागीय जांच की कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित.

21/10/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

2......

पृ.क्रमांक/4/शिका/सेल.3/एफ.104/सागर/2015/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1.. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.स्थानीय कार्यालय ।

3. कलेक्टर, सागर/रायसेन म.प्र.।

4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर(जांचकर्ता अधिकारी)संभाग सागर म.प्र.।

5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।

6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि डॉ.देवेन्द्र तिवारी, चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

7. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एंव लेखा सागर/भोपाल म.प्र.।

8. जिला कोषालय अधिकारी, सागर/रायसेन म.प्र.।

9. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यालय।

10. डॉ.देवेन्द्र तिवारी, निलंबित तत्कालीन प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी जिला सागर द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर/रायसेन म.प्र.।

11. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करावे।

12. आदेश नस्ती।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश